कार्यालय अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांकः– 28 /FP/UK/ others/25192/2017 दिनांक:देहरादून 5 जुलाई ,2017

सेवा में,

प्रभारी सचिव,
वन एवं पर्यावरण अनुभाग–4,
उत्तराखण्ड शासन।

विषयः– जनपद–नैनीताल के अन्तर्गत नैनीताल मालरोड़ से रानीबाग तक मार्ग के किनारे (कि0मी0 123 से कि0मी0 92 एन.एच.–87) आप्टिकल फाईबर केबिल बिछाने हेतु आईडिया सेलुलर लि0 को अनुमति दिये जाने के सम्बन्ध में। (0.93 हे0)

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि **जनपद–नैनीताल के अन्तर्गत नैनीताल मालरोड़ से रानीबाग तक (कि0मी0 123 से कि0मी0 92 एन.एच.–87) आप्टिकल फाईबर केबिल बिछाने हेतु आईडिया सेलुलर लि0 को** वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत अनुमित प्रदान करने का प्रस्ताव आनॅ लाईन प्राप्त हुआ है। प्रस्ताव के अनुसार विषयांकित परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि की मांग न्यूनतम है तथा इसके अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नही है। प्रभागीय वनाधिकारी, नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल एवं वन संरक्षक, दक्षिणी कुमांऊ वृत्त, नैनीताल द्वारा भी प्रस्ताव पर अपनी सहमति व्यक्त की गई है। चूंकि प्रश्नगत कार्य भारत सरकार की परियोजना ग्राम पंचायतों को ब्राडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करने हेतु ब्यापक जनहित में किया जा रहा है। अतः वन भूमि के कथित प्रयोजन हेतु अनुमति दिये जाने में विभाग को कोई आपत्ति नही है। प्रस्तावित परियोजना का क्षेत्रफल 1.00 हे0 से कम है तथा क्षेत्र किसी राष्ट्रीय पार्क/वन्यजीव अभ्यारण्य के अन्तर्गत नही आता है। प्रश्नगत परियोजना के निर्माण में वृक्षों का पातन निहित नही है।

भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की पत्र सख्या 11–568/2014–एफ.सी. दिनांक 02–02–2015 के द्वारा भूमिगत आप्टिकल फाईबर केबिल लाईन विछाने की अनुमति प्रदान करने हेतु राज्य सरकार को अधिकृत किया गया है। **(संलग्नक–1)** मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 24–04–2008 एवं आदेश दिनांक 09–05–2008 तथा तत्क्रम में भारत सरकार के पत्रांक 5–3/2007–एफ.सी. दिनांक 05–02–2009 **(संलग्नक–2)** के द्वारा कतिपय प्रयोजनों हेतु एन0पी0वी0 की देयता से छूट प्रदान की गई ही है।

अतः अनुरोध है कि उक्त वर्णित परिस्थितियों के दृष्टिगत **जनपद–नैनीताल के अन्तर्गत नैनीताल मालरोड़ से रानीबाग तक (कि0मी0 123 से कि0मी0 92 एन.एच.–87) आप्टिकल फाईबर केबिल बिछाने के** प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति राज्य सरकार के स्तर से प्रदान करने की संस्तुति की जाती है।

संलग्न यथोपरि।

भवदीय,

(विनोद कुमार)
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी

संख्या / FP/UK/ others/25192/2017 दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. जिलाधिकारी, जनपद–नैनीताल।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल।
3. प्रबन्धक, आइडिया सैलूलर लि0, उ0प्र0 (west) सर्किल, A/68 सैक्टर 64, नोयडा 201301।

(विनोद कुमार)
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी